एक स्वैच्छिक सामाजिक संगठन ''संकल्प'' द्वारा एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में 2 अक्टूबर, 2018 को आयोजित तीन–दिवसीय व्याख्यानमाला के समापन सत्र के लिए माननीय लोक सभा अध्यक्ष का भाषण।

———

1. मुझे ''**संकल्प**'' के तत्वावधान में आयोजित इस तीन–दिवसीय व्याख्यानमाला से जुड़कर बेहद प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले, आज मुझे यहां आमंत्रित करने और आप सभी के साथ परस्पर संवाद करने का अवसर देने के लिए मैं ''**संकल्प**'' की टीम को धन्यवाद देती हूं ।

2. हम सब जब भी ऐसे अवसरों पर एकत्रित होते हैं तो अपने इस संकल्प को स्मरण और पुनः उसके लिए समर्पित होने के भाव को जागृत करते हैं। राष्ट्रीयता के भाव को सुशासन से सींचना ही हमारा धर्म है। इस भाव से राष्ट्र की संस्थानों के प्रति प्रेम व गर्व की भावना बढ़ती है। राष्ट्रीय गर्व की भावना रखने वाला व्यक्ति आपसी फूट व उन सब कार्यों से बचेगा जिससे राष्ट्र का सिर नीचा हो। सुशासन के कुछ साधक तत्व हैं। इसमें कुछ आंतरिक है और कुछ बाह्य, आंतरिक पक्ष में एकता, समानता, स्वतंत्रता, निर्भयता तथा देश उन्नति हेतु परस्पर प्रेम, संगठन, सेवा और सहयोग इत्यादि।

3. भारत में सुराज अथवा सुशासन की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना कि हमारा इतिहास। वास्तव में हमारे इतिहास में इसका उल्लेख रामराज्य एवं राज धर्म जैसे विचारों में सुराज के संकेत और अभिधारणा मिलती है।

4. राज धर्म से आशय है कि राजा, धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप ही अपना आचरण करे और प्रजा का हित, संतोष और सुख ही उसका उद्देश्य हो। हालाँकि उस समय राजशाही थी लेकिन राजा से अपेक्षा निरंकुशता की नहीं थी, बल्कि सामाजिक, राजनैतिक तंत्र इस तरह से निर्मित किया गया था कि राजा भी आचरण की एक आचार संहिता के अनुपालन के लिए नैतिक रूप से बाध्य थे।

5. हमारे प्राचीन ग्रंथों में राज–व्यवस्था, सुराज का बहुत सुन्दर, विस्तृत एवं बार–बार उल्लेख मिलता है जो यह भी बताता है कि उस समय की व्यवस्था में सुराज पर कितना अधिक बल दिया जाता था और सुराज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक तंत्र विकसित किया गया था? जातक कथाओं, महाभारत के शांति पर्व एवं अनुशासन पर्व, शुक्राचार्य के नीतिसार, पाणिनि की अष्टाध्यायी, ऐतरेय ब्राह्मण, वाल्मीकि रामायण और विशेषकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सुराज अथवा सुशासन के सिद्धांतों को बहुत स्पष्टता के साथ प्रतिपादित किया गया है।

6. संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया हैः–

''प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां तु हिते हितम्।

नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।''

(इसका अर्थ यह है कि अपनी प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है, प्रजा के कल्याण में ही राजा का भी कल्याण है। राजा के लिए वह उत्तम नहीं है जो उसे प्रसन्नता प्रदान करे बल्कि वह उत्तम है जो प्रजा को आनंद प्रदान करे।)

7. राजा का सदाचरण ही सुराज का आधार है। सुराज के मूलभूत तत्व हैं न्याय, समानता, स्वंत्रता, पारदर्शिता, निष्पक्षता, भय मुक्त समाज, जन कल्याण का भाव और राजा का धर्मानुकूल आचरण।

8. ऋग्वेद में उल्लेख है कि ''आत्मनो मोक्षार्थम् जगत् हिताय च।'' अर्थात हमारे जीवन के दो ही उद्देश्य हैं। पहला स्वयं की आत्मा का कल्याण और साथ ही जन सेवा अथवा जन कल्याण। इसी में अन्तर्निहित है कि स्वयं के हित के सामने जन–कल्याण का कार्य अधिक महत्वपूर्ण और सर्वोपरि है।

9. बृहदारण्यक उपनिषद में भी यह कहा गया है कि राजा का कर्त्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे और जन कल्याण के अतिरिक्त कोई और विचार न करे। सुराज के अभाव में समाज में अनेक समस्याएं निर्मित होती हैं और वह सामाजिक ताने–बाने को छिन्न भिन्न कर देता है।

10. मनुष्य की कार्यकुशलता का आधार क्या है? यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर छान्दोग्य उपनिषद् की श्लोक में स्पष्ट मिलता है जो कि good governance के मूल में हैः– **''यदैव विद्यया करोति, श्रद्धया, उपनिषदा, तदैव वीर्यवत्तरम् भवति।''** (Whatever work is done with knowledge,

through faith and backed by meditation that alone becomes most effective.) केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है बल्कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसके प्रति श्रद्धा और निष्ठा का होना आवश्यक है। ज्ञान, श्रद्धा और निष्ठा के समन्वय से कुशलतापूर्वक कार्य सम्पादित किया जा सकता है।

11. योगक्षेम अर्थात जन कल्याण ही सुराज अथवा सुशासन का एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन इस योगक्षेम में जन कल्याण का अर्थ केवल जनता के आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक कल्याण तक सीमित नहीं है बल्कि उसमे प्रजा का नैतिक, आध्यात्मिक कल्याण भी अन्तर्निहित है और यही सुराज एक आदर्श अवधारणा है।

12. प्राचीन भारत में राजा ''धर्म'' या कानून के शासन से बंधा होता था जिसका उसे अपने प्रशासनिक कार्यकलापों को संचालित करने और सामान्य तौर पर अपनी प्रजा की भलाई के लिए पालन करना होता था। धर्म के बिना जीवन को आक्सीजन के बिना जीवन माना जाता था। हमारे धर्मग्रंथों में धर्म का वर्णन ऐसे रूप में किया गया है जो प्रजा और समाज का पालन–पोषण करे। उदाहरणस्वरूप, सम्राट अषोक का ''धम्म'' एक जीवन–शैली थी, एक आचार संहिता थी और सिद्धांतों का एक ऐसा समूह था जिसे सभी के द्वारा अपनाया और पालन किया जाता था। महाकाव्य रामायण में, रामराज्य की संकल्पना को विस्तार से बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि रामराज्य सुशासन का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप है। अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य ने शासन करना और प्रशासन

चलाने की नीतियों की चर्चा की है, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अर्थशास्त्र में सुशासन, जिम्मेदारी और न्याय के मौलिक सिद्धांतों का उल्लेख है।

13. मित्रो, इस संदर्भ में, मैं 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और 18वीं सदी में इंदौर की साम्राज्ञी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जैसे महान शासकों का उल्लेख करना चाहूंगी। उन्होंने स्वदेशी पद्धतियों का अनुपालन किया और उन्हें अपनाया तथा वे अपने–अपने राज्यों में 'सुराज' स्थापित करने में सफल हुए।

14. ऐनी बेसेंट जिन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया, ने महारानी अहिल्याबाई द्वारा स्थापित सुशासन के बारे में निम्नलिखित शब्दों में प्रमुख रूप से लिखा थाः

''इंदौर की इस महान शासक ने अपने राज्य में सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया, व्यापारियों ने उत्कृष्ट वस्त्रों का उत्पादन किया, व्यापार की प्रगति हुई, किसान संतुष्ट थे और शोषण समाप्त हो गया क्योंकि रानी के समक्ष आए प्रत्येक मामले से कठोरता से निपटा गया। वह अपनी प्रजा को प्रगति करते और बेहतरीन शहरों को विकास करते देखना चाहती थीं। वे चाहती थीं कि उनकी प्रजा अपनी संपत्ति को प्रदर्शित करने में इसलिए भयभीत न हो कि उनका शासक उनसे संपत्ति छीन लेगा। पूरे राज्य में सड़कों पर छायादार वृक्ष लगाए गए, कुएं खुदवाए गए और यात्रियों के लिए सराय

बनवाए गए। निर्धन, बेघर और अनाथ सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान की गई।''

15. आधुनिक समय में भी हमारे यहां स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे पथ–प्रदर्शक हुए जिन्होंने इस विचार का प्रचार–प्रसार किया और इसे लोकप्रिय बनाया। उनके विचारों ने गहरा प्रभाव छोड़ा और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की। महात्मा गांधी ने भी हमें ''रामराज्य'' की अवधारणा दी जिसमें सुशासन, वंचितों के कल्याण के सिद्धांतों को रेखांकित किया गया। इस संदर्भ में, मैं पंडित दीन दयाल उपाध्याय के योगदान का भी स्मरण कराना चाहूंगी जिन्होंने 'धर्म' पर आधारित 'जन राज्य' का स्वप्न देखा। उनके लिए, 'धर्म' मात्र धर्म नहीं था अपितु उसमें राष्ट्र की आत्मा बसती थी। उनका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी विकास मॉडल विकसित करना था जिसके केन्द्र में मानव हो। उनका नारा था– **लक्ष्य अन्त्योदय–प्रण अन्त्योदय–पथ अन्त्योदय।**

16. यह बात भी उल्लेखनीय है कि हमारे संविधान निर्माताओं का सपना, शासन का ऐसा मॉडल विकसित करना था और जो राष्ट्र के लिए सबसे अनुकूल हो और जिसमें लोगों को प्रधानता दी जाए। संविधान निर्माताओं ने न केवल सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप अपितु समावेशी समाज का प्रावधान करने की दृष्टि से भी बेहतरीन ढंग से लोकतांत्रिक शासन की अनुपम योजना तैयार की। भारत के संविधान द्वारा भारत के संविधान में जिस लक्ष्य की परिकल्पना की गई

है वह ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य है जिसमें गरिमामयी मानव अस्तित्व हो और जो सभी के लिए अच्छा हो।

17. भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य गठित करने का संकल्प है तथा अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समानता; सुनिश्चित करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं बंधुता सुनिश्चित करने और राष्ट्र की एकता बढ़ाने का वायदा करती है। संविधान के अंगीकृत होने के बाद से बहुत प्रगति हुई है लेकिन सही अथों में सुशासन स्थापित करने के लक्ष्य पर अभी काम चल रहा है।

18. 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, स्वराज्य मिल गया और फिर चर्चा हुई कि स्वराज्य नही हमें सुराज्य तक जाना है। कई बार अलग–अलग प्रकार से स्वराज्य की सुशासन की कल्पना की गई। यह भी कहा गया कि सुराज्य यानि रामराज्य, यह भी एक कल्पना है। लेकिन जब कभी इन बातों पर चर्चा होती है, शासन–इस विषय पर चर्चा होती है तब मेरे ध्यान में एक बात आई कि मेरे उम्र के भी लोग हों या मेरे से छोटे भी हों, हम लोगों के मन में दो बातें पक्की बैठ गई हैं कि शासन यानि हमने जो अभ्यास किया इसके कारण हो सकता है कि शासन यानि मुग़लों का शासन, शासन यानि अंग्रेजों का शासन, बाकी बीच में छोटी–छोटी कहानियों के रूप में हमने शिवाजी महाराज का भी पढ़ा होगा, हमने

पृथ्वीराज चौहान का पाठ पढ़ा है या हमने विजयनगर साम्राज्य की बात सुनी है पढ़ी है थोड़ी–सी। मगर शासन कहूं तो यह दो ही बातें दिमाग में ज्यादा आती हैं और इसलिए मेरे मन में अभी जब सुराज्य की बात चल पड़ती है जब भी कभी चर्चा होती है सुराज्य की अच्छे शासन की, तब लगा कि इस पर हमारी भी शासन पद्धति है, भारतीय विचारधारा को आगे लेकर चलने वाली भी शासन–पद्धति थी, रही है।

19. **लोकतांत्रिक प्रणाली को लेकर मेरी धारणा है। हमने वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के संघर्ष की कथा पढ़ी है। उसमें कई बातें हुईं हैं। उनमें से एक थी कि वशिष्ठ ने कामधेनु को कहा कि तू तेरी रक्षा करना। तत्पश्चात् कामधेनु ने हज़ारों सैनिक निर्माण किए। कोई कहता है कि ये सैनिक कामधेनु के पेट से निकले थे तो कोई पूंछ से। मगर तब मेरे मन में यह बात आई कि वशिष्ठ जी की जो प्रणाली थी, हो सकता है कि प्रणाली प्रजातांत्रिक भी रही होगी। मैं प्रजा के सुख के लिए काम कर रहा हूं, हम मिलकर के कुछ काम कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता करके अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं।** हमने संगठित होकर एक दूसरे की रक्षा भी करनी है। और इसीलिए प्रजा का अपना अधिकार भी और प्रजा के अपने कर्त्तव्य भी। तो चाहे राजतंत्र हो तो राजा का अधिकार और उनके कर्त्तव्य, उसी प्रकार लोकतंत्र हो, तो प्रजा का अधिकार एवं प्रजा का कर्त्तव्य भी। इनकी कल्पनाएं हमारे समाज में सालों साल से सदियों से सुव्यवस्थापित रही हैं।

20. हम कहते हैं कि भारत एक बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी हमारी संस्कृति है, तो वैदिक काल से लेकर अभी तक हमारे यहां भी चाहे वह राजतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र भी हो हमारे यहां गणराज्य भी रहे हैं और इसीलिए हमारी अपनी एक शासन पद्धति रही, हमारी अपनी एक कल्पना शासन को लेकर रही है जिसके बारे में सभी नागरिकों को अवगत कराना हम सभी का धर्म है। इसी को लेकर हमने सुराज्य संहिता नामक एक धारावाहिक लोक सभा टी.वी. प्रसारित करने का निश्चय किया है।

21. आज हमारा प्रयास **''सबका साथ, सबका विकास''** के लक्ष्य को प्राप्त करना है जो अभिन्न मानववाद के दर्शन से जुड़ा है। विविधता में एकता और हमारे समाज के समृद्ध बहुलवादी चरित्र को स्वीकार करते हुए ''सबका साथ, सबका विकास'' की दृष्टि सर्वांगीण विकास और सभी की प्रसन्नता के लिए है। यह सामूहिक प्रयासों और समावेशी विकास पर जोर देता है ताकि कोई छूटे नहीं।

22. सुशासन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ मुख्य सामाजिक मुद्दों का हल ढूंढना होगा। इनमें भ्रष्टाचार, निरक्षरता, महिलाओं का सशक्तीकरण और विभिन्न स्तरों पर निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की बढ़–चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करना इत्यादि शामिल हैं। **स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था और मैं उद्धृत करती हूं ''जब तक महिलाओं की स्थितियां नहीं सुधरती हैं, विश्व के कल्याण के बारे में विचार करना असंभव है। किसी पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना**

संभव नहीं है।'' हम जानते हैं कि महिलाएं जनसंख्या का 50 प्रतिशत हैं लेकिन संसद और अन्य निर्णय लेने वाले निकायों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए, मैं महिला सशक्तीकरण के साथ–साथ समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण को सुशासन के लिए पूर्व शर्त मानती हूं। इसके अलावा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा शासन की प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी से भी सुशासन को मजबूत किया जा सकता है, जिसे हम स्थानीय निकायों को व्यापक प्रतिनिधित्व मूलक आधार और अधिक शक्तियां प्रदान कर कुछ सीमा तक प्राप्त करने में सफल हों।

23. मित्रो! आप सभी यह बात जानते होंगे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष 25 दिसम्बर को **सुशासन दिवस** के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस का उद्देश्य देश में पारदर्शी तथा उत्तरदायी शासन प्रदान करने हेतु सरकार की प्रतिबद्धताओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाना है।

24. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, सुशासन के घटकों को परिभाषित करने के अनेक प्रयास किए गए हैं। इस संदर्भ में **एशिया और प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएसपीएसीपी)** द्वारा सुशासन की आठ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। **ये हैं भागीदारी, विधि का शासन, पारदर्शिता, प्रतिक्रियात्मकता, सर्वसम्मति उन्मुख होना, समानता और समावेशिता, प्रभावी और दक्षता तथा जवाबदेही।** पारदर्शिता का अर्थ है कि सूचना स्वतंत्र रूप से उपलब्ध

हो और उन लोगों की प्रत्यक्ष पहुंच में हो जो ऐसे निर्णयों तथा इनके कार्यान्वयन से प्रभावित हों। जवाबदेही सुशासन की आधारभूत विशेषता है। सरकार को प्रत्येक कार्य के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इस संबंध में मैं दो महत्वपूर्ण पहलों, अर्थात्, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियमन तथा ई–गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया के शुभारंभ का उल्लेख करना चाहूंगी, जिनके कारण सुशासन में एक बहुत बड़े स्तर तक पारदर्शिता और जवाबदेही में बढ़ोतरी हुई है।

25. राष्ट्रीय जीवन में इस बात का विशेष महत्व है कि हम जागरूक होकर शासन के विभिन्न पक्षों पर गहरी दृष्टि डालें। यदि हम अधिकाधिक लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना चाहते हैं तो प्रशासक के रूप में हमारे आंख, नाक और कान सदैव खुले एवं सतर्क होने चाहिएं। आस–पास घटित हो रही घटनाओं को बहुत ही बारीकी से देखने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी तो हम कम व्यय में अधिकाधिक लोगों तक लाभ पहुंचा सकते हैं।

26. जहां तक शासन में शुचिता का प्रश्न है तो मैं समझती हूं कि ज्ञान और अनुभव दोनों का बराबर महत्व है। ज्ञान होने से आप चीजों को समझ पाते हैं, वहीं अनुभव से उस ज्ञान का समुचित उपयोग करने में आप अपने–आपको सक्षम पाते हैं।

27. हम सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार सदियों से मानव समाज के मूल में रहा है। वेदों में एवं हमारे पुराने धर्मग्रंथों में भ्रष्टाचार को समस्त बुराइयों का प्रवेश

द्वार कहा है। अथर्ववेद में वर्णित है कि लोगों को भ्रष्ट आचरण से दूर रहना चाहिए। शास्त्र के अनुसार ईमानदारी से कमाया गया धन टिकाऊ नहीं रहता है, बेईमानी से कमाया गया धन शीघ्र नष्ट हो जाता है।

28. In the *Bhagawat Gita, Lord* Krishna says and I quote from chapter 16 verse 12 :

आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः।

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्।।

(वे आशा की सैंकड़ों फांसों से बंधे मनुष्य काम–क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यान्यपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं।)

The *sloka* means that people who believe in sensual gratification to be the prime objective of human existence live their entire lives with anxiety. Bound by a network of hundreds and thousands of desires and absorbed in lust and anger, they secure money by illegal means for gratifying their senses. यही विषय भोगों के प्रति आसक्ति भ्रष्टाचार को जन्म देती है।

धर्म का अर्थ ही सन्मार्गों का आचरण करना एवं सत्कर्म करना एवं चित्त को सद्प्रवृत्तियों की ओर लगाकर आनंद की प्राप्ति है। सन्मार्ग से इतर का किसी प्रकार का आचरण भ्रष्ट आचरण ही माना जाता है।

29. आप सहमत होंगे कि भ्रष्टाचरण और शासन के बीच काफी अन्योन्याश्रय (close) संबंध है। हाल के वर्ष में उपभोक्तावाद ने corruption को और गति दे दी है। इसे अब जनता के सहयोग एवं शासन के दृढ़संकल्प से ही नियंत्रित किया जा सकता है। खराब शासन व्यवस्था न केवल भ्रष्टाचार को जन्म देती है बल्कि वह हमारी अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त प्रहार करती है और गरीबों की स्थिति तो बद से बदतर कर देती है। ऐसे में सुशासन से ही अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगती है।

30. भारत की सभ्यता एवं संस्कृति बहुत पुरानी है एवं भारतवासियों के आचरण सदियों से धर्मानुकूल रहे हैं। हम नियमों को पालन करने में एवं अपने कार्य के प्रति सदैव समर्पित रहते हैं। हमारे दैनंदिक जीवन में हमें उन साधुओं का सम्मान करना सिखाया गया है जो समाज के कल्याण में निरंतर सेवारत रहते हैं। **''सादा जीवन उच्च विचार'' की हमारी परम्परा रही है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धान्तों का न सिर्फ प्रयोग किया था बल्कि उन मूल सिद्धान्तों पर कायम रहकर हमें इस बात की सीख दी थी कि सत्य, अहिंसा और ईमानदारी के अलावा और कोई नहीं है।** ये सद्गुण

हमारी अंतरात्मा को गहरे तक झकझोरते हैं एवं हमें ईमानदारी एवं सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित करती है।

31. मुझे यह ज्ञात हुआ है कि संकल्प पिछले 32 वर्षों से स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों के लाभ के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करता रहा है और उनके भविष्य निर्माण में उनका मार्गदर्शन करता आ रहा है। यह प्रशंसनीय बात है कि हर वर्ष काफी बड़ी संख्या में विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। यह संगठन उन व्यक्तियों की भी सहायता कर रहा है, जो राष्ट्र एवं समाज–सेवा के प्रति समर्पित हैं। यह विभिन्न विषयों पर व्याख्यानमाला का भी आयोजन करता रहा है। मैं समझती हूं कि वर्तमान व्याख्यानमाला इस श्रृंखला की चौथी कड़ी है। विगत में, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई विशिष्ट और शिक्षित व्यक्तियों ने संकल्प व्याख्यानमाला में भाग लिया है तथा अपनी बहुमूल्य जानकारी और अनुभव को साझा किया है।

32. अंत में, एक बार पुनः, मैं **'संकल्प'** को उनके द्वारा समाज को दी जा रही सेवाओं के लिए बधाई देती हूं तथा उनके सभी भावी प्रयासों के लिए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।

धन्यवाद।

————